मानसरोवर चौपाटी को एफएसएसएआई से मिला 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' का सर्टिफिकेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर चौपाटी को 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' का सर्टिफिकेट प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु

- एफएसएसएआई **(FSSAI)** के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल ने विभिन्न मानकों एवं बेंचमार्क में खरा पाए जाने पर मानसरोवर चौपाटी को यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।
- 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' टैग दो साल के लिये वैध है और यह उन भोजनालयों को दिया किया जाता है, जो खाना पकाने और गैर-खाना पकाने के क्षेत्रों, साफ-सफाई और कीट नियंत्रण सहित कई मामलों के मानकों पर खरे उतरते हैं।
- एफएसएसएआई के अनुसार टैग से पुरस्कृत होने के लिये स्ट्रीट फूड जॉइंट को निर्दिष्ट मानदंडों के कम-से-कम 80% को पूरा करना होता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह संस्था देश भर में खाद्य सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सबसे बड़ी नियामक संस्था है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mansarovar-chowpatty-gets-clean-street-food-hub-certificate-from-fssai